



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082026-275567
CG-DL-W-19082026-275567

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 9—अगस्त 15, 2026, शनिवार/श्रावण 18—श्रावण 24, 1948
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 9—AUGUST 15, 2026, SATURDAY/SHRAVAN 18—SHRAVAN 24, 1948

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय
(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 145.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर) (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता- वह व्यक्ति-**
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
 परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रोग्रामर (सूचना प्रौद्योगिकी या सॉफ्टवेयर)।	2 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)।	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेश के अनुसार सरकारी सेवक के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला

					और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।
--	--	--	--	--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव: कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में परास्नातक उपाधि; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में परास्नातक उपाधि या प्रौद्योगिकी में परास्नातक उपाधि (कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर विज्ञान में); या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार में इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि। वांछनीय- इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और नेटवर्किंग में योग्यता प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण1: अभ्यर्थियों के अन्यथा योग्य होने की स्थिति में, लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए संघ लोक	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती होने वालों के लिए दो वर्ष टिप्पण: सीधी भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित प्रासंगिक क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रेरण प्रशिक्षण पूरा करना होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण.- किसी अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्यरत न रहने के कारण होने वाली रिक्तियां केंद्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकती हैं।

सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यता को शिथिल किया जा सकता है। टिप्पण 2: यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है या यदि चयन के किसी भी चरण के दौरान संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि आरक्षित पदों को भरने हेतु इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार अनुभव संबंधी योग्यता को शिथिल किया जा सकता है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित): भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त निकायों या सांविधिक संगठनों के तहत वे अधिकारी जिन्होंने: (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समान पद धारण किया हुआ है; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु 44900-142400) में स्तर-7 पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की नियमित सेवा प्रदान की; और (ख) कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव। टिप्पण 1: उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य बाह्य-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: — 1. अपर महानिदेशक अथवा उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य; और 3. सहायक निदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो - सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. संख्या I-12014/05/2024-एनसीबी-II]

वंदना चौधरी, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(Narcotics Control Bureau)**

New Delhi, the 5th August, 2026

G.S.R. 145.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programmer (Information Technology or Software) in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Programmer (Information Technology or Software), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of the said post, its classification and level in the pay-matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. — The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Programmer (Information Technology or Software).	2 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100).	Not applicable.	Not exceeding thirty years (relaxable for Government Servant upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of

					applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- division of Chamba district of Himachal Pradesh and Union territories administration of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Possessing the following educational qualifications and experience: Masters Degree in Computer Application or Computer Science; or M.E. or Master of Technology (in Computer Application or Computer Science) from a recognised University or Institute; or B.E or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics and Communication from a recognised University or Institute. Desirable- Two years post qualification experience in electronic data processing, programming, information technology and networking. Note1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note2: The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable.	Two years for direct recruits. Note: The direct recruits would be required to complete a mandatory induction training of at least two weeks duration in the relevant field to be conducted by Narcotics Control Bureau for successful completion of probation.	Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment. Note.- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.

Castes or the Schedules Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the post reserved for them.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (Including Short Term Contract): Officers of the Government of India or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or autonomous bodies or statutory organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). Note1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years on the closing date of receipt of application.	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of: — 1. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau - Chairperson; 2. Deputy Director, Narcotics Control Bureau - Member; and 3. Assistant Director, Narcotics Control Bureau - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making Direct Recruitment.

[F. No. I-12014/05/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2026

सा.का.नि. 146.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में सहायक निदेशक (साइबर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, सहायक निदेशक (साइबर), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके साथ संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (साइबर)।	*01 (वर्ष 2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-11 (रु. 67700-208700)।	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति पाने वालों के लिए दो साल।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेदन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने के लिए किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति द्वारा:- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के ऐसे अधीक्षक (साइबर) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-142400 रुपये) में ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए या स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्थान में आयोजित दो सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/ पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन:- केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर-10 (रु. 56100-177500) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: (अ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से साइबर सुरक्षा और फोरेंसिक्स या डिजिटल फोरेंसिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि; या (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष; 2. अपर महानिदेशक या उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य; 3. संयुक्त सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय – सदस्य विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. महानिदेशक या अपर महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – अध्यक्ष; 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य; 3. उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो – सदस्य	केवल प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर उपाधि; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (कंप्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ); या (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरी या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (आ) साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध या साइबर फोरेंसिक में चार वर्ष का अनुभव। वांछनीय: डिजिटल फुट प्रिंटिंग और डिजिटल फोरेंसिक में दो वर्ष का अनुभव या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन में सर्टिफिकेट कोर्स। टिप्पण 1: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी ही पद पर आमेदन के लिए पात्र होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. आई-12014/04/2024-एनसीबी-2]

वंदना चौधरी, उप सचिव

New Delhi, the 5th August, 2026

G.S.R. 146.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Cyber) in the Narcotics Control Bureau, Ministry of Home Affairs, namely: —

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Assistant Director (Cyber), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.— The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation in age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Cyber).	*01 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700).	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which deputation (including short-term contract) or Absorption.

In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Superintendent (Cyber) of Narcotics Control Bureau with eight	Departmental Promotion Committee (for	Consultation with the Union Public Service

years of regular service in Level-8 (Rs. 47600-142400) in pay matrix and successfully undergone two weeks of mandatory training program for which training program to be prepared by Narcotics Control Bureau or at another institute approved by Narcotics Control Bureau. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short term contract) or Absorption: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutes or Public Sector Undertakings or Statutory or autonomous organisations.; (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service after appointment thereto on regular basis in posts in the Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years' regular service after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as under: (A) Masters Degree in Cyber Security and Forensics or Digital Forensics from a recognised University or Institute; or (i) Masters Degree in Computer Application or Computer Science from a recognised University or Institute; or (ii) Master of Technology (with specialisation in Computer Application) from a recognised University or Institute; or (iii) B.E or B.Tech in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and Engineering or Information Technology or Computer Application or Electronics or Communication Engineering from a recognised University or institute. (B) Four years' experience in Cyber security or Cyber crime or Cyber forensic. Desirable: Two years of experience in digital foot printing and digital forensic or Certificate course in the Computing Technology Industry Association. Note 1: Officers from the Central Government or State Government or Union territory administration shall only be eligible for absorption to the post. Note 2: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this	considering promotion) consisting of: 1. Chairman or Member of the Union Public Service Commission – Chairman; 2. Additional Director General or Deputy Director General, Narcotics Control Bureau – Member; and 3. Joint Secretary or Director, Ministry of Home Affairs – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering cases of confirmation) consisting of: 1. Director General or Additional Director General, Narcotics Control Bureau – Chairman; 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs – Member; and 3. Deputy Director General, Narcotics Control Bureau – Member.	Commission is necessary for promotion only.
--	---	--

appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years on the closing date of receipt of application

[F. No. I-12014/04/2024-NCB-II]

VANDANA CHAUDHARY, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 147.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहाँ तक उसका संबंध अनुसूची के क्रमांक 11 पर मलेरिया क्षेत्र कार्यकर्ता/क्षेत्र कार्यकर्ता से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र में क्षेत्र कार्यकर्ता पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, क्षेत्र कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध कराना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क्षेत्र कार्यकर्ता	6 (2026)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (₹18,000–56,900)	लागू नहीं होता	अठारह वर्ष और सत्ताइस वर्ष के मध्य। (दोनों अंतर्विष्ट) (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के सन्दर्भ में, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए आयु-सीमा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित तारीख आयु-सीमा अवधारित करने हेतु निर्णायक होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; और (ख) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन रोग-परजीवी संवाही जंतु निगरानी, सम्पर्क अनुरेखण और निगरानी प्रकोप के दौरान डेटा /नमूना संग्रहण के लिए क्षेत्र दौरे में क्षेत्र कार्य में एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। सुसंगत क्षेत्र में दो सप्ताह के अनिवार्य प्रशिक्षण के अध्यधीन।	सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि	संघ लोक सेवा आयोग से

	के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर निदेशक श्रेणी के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली — अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक श्रेणी के अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली — सदस्य; 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के उप निदेशक (प्रशासन) और इससे ऊपर की श्रेणी के अधिकारी, — सदस्य; 4. सहायक निदेशक (प्रशासन) अथवा प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली — सदस्य।	परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
--	--	------------------------------

[फा. सं. A-12018/7/2017-स्था. (भाग-I)]

अशोक कुमार पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 28th July, 2026

G.S.R. 147.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Institute of Communicable Diseases (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as it relates to the post of Malaria Field Worker / Field Worker at serial number 11 of the Schedule thereof, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Worker in the National Centre for Disease Control under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the National Centre for Disease Control, Field Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Field Worker	6*(Six) (2026) <i>*Subject to variation dependent on workload.</i>	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-1 in the Pay Matrix (Rs.18,000–56,900)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in the case of general candidates and up to the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) Matriculation from a recognised Board; and (b) One year experience in Field work regard to Vector Surveillance, contact tracing and in field visits for data/sample collection during Surveillance, outbreaks etc., under the Central Government or State Government.	Not applicable.	Two years. Subject to two weeks mandatory training in relevant field.	By direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is

	1. Officer of the rank of the Additional Director, National Centre for Disease Control, Delhi – Chairperson; 2. Officer of the rank of Joint Director, National Centre for Disease Control, Delhi – Member; 3. Officer of the rank of the Deputy Director (Administration) and above from the Directorate General of Health Service – Member; 4. Assistant Director (Administration), or Administrative Officer, National Centre for Disease Control, Delhi – Member.	not necessary.
--	--	----------------

[F. No. A-12018/7/2017-Estt. (Part-I)]

ASHOK KUMAR PAL, Under Secy..

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
(पीएचआरडी प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 148.— भारत के राजपत्र में प्रकाशित, इस मंत्रालय की अधिसूचना सां.का.नि. सं.127 दिनांक 6 जुलाई 2026 के अंग्रेज़ी पाठ में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है: -

1. उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम(1)“अधिकारियों का नाम और पदनाम” में क्रम संख्या 6 के नाम, अर्थात्:—

“ *Shri Rajiv Kumar Yadav, Superintending Engineer*” को;

निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है: -

“ *Shri Rajeev Kumar Yadav, Superintending Engineer*”

2. इस शुद्धिपत्र को उक्त अधिसूचना के मूल प्रकाशन की तिथि दिनांक 6 जुलाई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

[फा.सं. ए- 12011/1/2015-पी.ई.-II]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th July, 2026

G.S.R. 148.—In the English version of the Notification of this Ministry G.S.R. No.127 dated 6th July 2026 published in the Gazette of India, the following correction is hereby made: —

1. In the said Notification, in the Table, under column (1) bearing the heading “Name & Designation of the Officer”, against Serial Number 6, for the Name, namely:—

“Shri Rajiv Kumar Yadav, Superintending Engineer”;

the following shall be substituted, namely:—

“Shri Rajeev Kumar Yadav, Superintending Engineer”

2. This Corrigendum shall be deemed to have come into force on the date of publication of the said Notification in the Official Gazette, i.e., 6th July, 2026.

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.

[F. No. A-12011/1/2015-PE-II]